हर इन्सान-एक समान

एक राष्ट्र-एक जान

मेरा भारत महान

समता ज्योति

वर्ष : 10 अंक : 12 देश के राष्ट्रवादी नागरिकों को समर्पित मासिक-पत्र 25 दिसम्बर, 2019

Website: www.samtaandolan.co.in, E-mail: samtaandolan@yahoo.in मूल्य: प्रति अंक-5 रूपये, सालाना- 50 रूपये

"जातिगत आरक्षण के रास्ते चलना मूर्खता ही नहीं, विध्वंसकारी है।"

-पं. जवाहरलाल नेहरू
(27 जून, 1961 को प्रधानमंत्री के रूप में मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र से)

विधायिका में जातिगत आरक्षण दस वर्ष और बढाया गया

126वां संविधान संशोधन बिल 352/00 से लोकसभा में पास, 191 सदस्य अनुपस्थित, 81 सांसद ऐसी ही हिम्मत कर लेते तो बिल पारित नहीं हो पाता

समता आन्दोलन ने किया सशक्त विरोध

संविधान पुन: अपमानित

समता आन्दोलन 2009 से संविधानिक शुचिता और सम्मान को बचाये रखने के लिए लगातार संघर्ष और प्रयास करता रहा है। लेकिन फिर भी भारत के संसदीय प्रजातंत्र पर एक बार पुन: 352 सांसदों द्वारा कालिख पोती गई। पूरा देश और विश्व जातिवादी राजनीति के सामने तथाकथित राष्ट्रवादी सांसदों को घुटने टेकते हुवे देख रहा है। कुल 543 सदस्यों के सदन में इस विधेयक के पक्ष में 352 मत आने का एक अर्थ ये भी है कि 191 सदस्य लोकतंत्र की सार्वजनिक हत्या के कुकृत्य में शामिल होना नहीं चाहते। जिन 352 सदस्यों ने पक्ष में वोट दिया इनमें से 131 तो अजजा सांसद हैं। शेष 221 नॉन अजजा के सांसद हैं। अर्थात नॉन अजजा के 412 सांसदों में से 46 प्रतिशत ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। यदि 81 सांसद ऐसी ही हिम्मत कर लेते तो ये अविधिक बिल पारित नहीं हो सकता था।

समता आन्दोलन अपनी राष्ट्रवादी सोच के अधीन इस जातिवादी संविधान संशोधन का विरोध करता रहेगा। पुराने संशोधनों की तरह इस संशोधन को भी चुनौती दी जावेगी। हमारी जो पुरानी याचिकाएं लंबित हैं उनके साथ ही इस याचिका का निर्णय भी देश हित मे अच्छा ही आएगा। समता आन्दोलन द्वारा लगातार इस संशोधन को रोकने का प्रयास किया गया :-

1. वर्ष 2013 में दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई फिर सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी लगाई गई ताकि संविधान संशोधन बिल पर दलों को पार्टी व्हिप जारी करने से रोका जा सके। ये याचिकाएं इस तकनीकी आधार पर खारिज हुई कि कोई वर्तमान सांसद हमारे साथ याचिकाकर्ता नहीं था। अभी भी कोईसाथ आ जाए तो पुन: अच्छी 2 रिट लग सकती है। खुशी और गर्व की बात ये है कि हमारी इस रिट में श्री के के वेणुगोपाल (वर्तमान एजी) तथा श्री गोपाल सुब्रमण्यम (पूर्व एसजी) ने राष्ट्रहित में नि:शुल्क पैरवी की थी।

2. नॉन अजजा के करीब 38 सांसदों से मिलकर उन्हें अपने साथ लेने का प्रयास किया लेकिन सभी ने दिल से साथ होने का भरोसा देते हुवे पार्टी व्हिप के आगे लाचारी व्यक्त की।

3. दस राज्यों में शाखाएं खोलकर आम जनता को जागरूक कर के घर से बाहर लाने के प्रयास किये गए, लेकिन 1 प्रतिशत लोग भी घरों से बाहर नहीं निकल पाये।

4. इस मुद्दे को वोटोराइज करने के प्रयास में वर्ष 2018 में राजस्थान विधानसभा चुनावों में आरक्षित क्षेत्रों में अजजा के कुल सत्रह ऐसे प्रत्याशियों को भरपूर सहयोग व समर्थन दिया गया जिन्होंने शपथपत्र देकर घोषित किया था कि वे सीटों के अविधिक आरक्षण को बन्द करवाकर पार्टी टिकटों में आरक्षण का प्रावधान लागू करवाएंगे। ये सर्व विदित तथ्य है किसी सीटों के आरक्षण से जहाँ जातिवादी राजनीति बढ़ रही है वहीं इस से अजजा को भी भारी नुकसान हो रहा है। उनकी 30 करोड़ आबादी में से इस आरक्षण का लाभ केवल 2-3000 हजार परिवारों को ही मिल पाया है। इतने गंभीर मुद्दे पर हमारे बेहद परिश्रम के बावजूद भी इन अजजा के साहसी राष्ट्रवादी प्रत्याशियों को एक प्रतिशत भी वोट नहीं मिले। दुर्भाग्यपूर्ण।

4. हमने हमारी लंबित याचिकाओं के जल्दी निस्तारण के लिए बार बार प्रयास किये, आवेदन किये, मेंशनिंग की, परंतु हमारी सुनवाई नहीं हुई।

4. हमने दिल्ली में एक बड़ी रैली करने का प्रयास किया। एक जुलाई 2017 को सिविक सेंटर दिल्ली में लगभग 1000 लोगों की शुरुआती बैठक की, लेकिन कुछ स्वार्थी लोगों ने एक अलग नया संगठन बना कर हमारे प्रयासों को नुकसान पहुंचाया, हमारी गति को रोका। अब हम पुन: प्रयास कर रहे हैं, लेकिन 2019 का लक्ष्य तो निकल गया।

5. हम संविधान संशोधन में पार्टी व्हिप रुकवाने की याचिका पुन: लगाने के लिए एक वर्तमान सांसद को अपने साथ याचिकाकर्ता बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। सभी सांसदों को पत्र लिख कर गुहार की है, तीन सांसदों से व्यक्तिगत प्रयास भी किये हैं, लेकिन अभी तक हमें सफलता नहीं मिली है। प्रयास जारी हैं।

6. सांसदों तक अपनी बात पहुंचाने, उनसे मतदाताओं की इच्छा के अनुरूप कार्य कराने, उनकी कार्यशैली को प्रजातांत्रिक व पारदर्शी बनाने के लिए सांसद सलाहकार परिषद के गठन के प्रयास किये गए, नियमावली बना कर जारी की गई लेकिन दुर्भाग्य से हमारे पदाधिकारी ही इस दिशा में आगे नहीं बढ़ पा रहे।

7. अभी संसद के सत्र में संशोधन बिल आने से पहले सभी सांसदों को और लोकसभा व राज्यसभा के अध्यक्षों को ज्ञापन देकर जानकारी दी गई कि किस तरह ये संविधान संशोधन असंवैधानिक है, अविधिक है, जातिवाद को बढ़ाने वाला है, देश को जातिगत गृहयुद्ध की ओर ले जाने वाला है, इसके लिए पार्टी व्हिप जारी करना सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के निर्णय का उल्लंघन है। कोई असर नहीं हुआ, अभी कल ही 352 सांसदों ने अपनी संविधान शपथ का उल्लंघन करते हुवे इसे संशोधन बिल को लोकसभा में पारित कर दिया।

8. लोकसभा के कुल 131 अजजा सांसदों को समता के एसटी प्रकोष्ठ से ज्ञापन दिलवाकर बताया गया कि किस प्रकार ये सीटों का आरक्षण खुद अजजा के लोगों के लिए भी नुकसानदायक है।

9. इस संविधान संशोधन के पूरी तरह असंवैधानिक होने की तथ्यात्मक जानकारी सोशल मीडिया के जरिये जनता तक पहुंचाई गई जिसे लाखों लोग देख चुके हैं, लाखों ने पसन्द किया है, जागरूक हुए हैं। आगे ये जानकारियां करोडों तक पहुंचाई जाएंगी।

9. लोकसभा अध्यक्ष से ग्यारह सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डल के साथ दिनांक 10/12/2019 की सुबह उनके आवास पर मिलकर याचिका पेश करके आग्रह किया गया कि अनुच्छेद 334 में संशोधन का बिल असंवैधानिक है, इसे रोकें। पहले सुप्रीम कोर्ट में 20 वर्षों से लंबित 10 याचिकाओं का निर्णय करवाएं या अनुच्छेद 143 के अधीन राष्ट्रपति की मार्फत सुप्रीम कोर्ट को ये सलाह देने को कहलवाएँ कि उक्त 10 लंबित याचिकाओं में की गई आपत्तियों की रोशनी में क्या ये संविधान संशोधन बिल उचित है? कुछ भी नहीं कर पाएं तो इतना तो करें कि सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ द्वारा किहोतो होलोहुन के प्रकरण में दिए गए निर्णय की पालना में राजनीतिक दलों को इस बिल पर किसी भी तरहं का व्हिप जारी करने से रोकें। लेकिन दुर्भाग्य से हमारी संविधान सम्मत याचिका पर कोई कार्यवाही नहीं की गई और उसी दिन शाम को ये अविधिक बिल लोकसभा में पेश करवाकर पारित करवा दिया गया।

राज्यसभा में भी यही सब कुछ दोहराया गया। हमारे संविधान को जितना अपमानित संविधानिक संस्थाओं द्वारा किया गया है उतना किसी के भी द्वारा नहीं किया गया। इसका एक ही कारण है कि आम मतदाता सोया हुआ है, अकर्मण्य है,स्वार्थी है, देश हित मे एक कदम भी घर के बाहर नहीं रखना चाहता, अपने देश की तेज गति से जातिगत गृहयुद्ध की ओर अग्रसर होते देख रहा है।

तमाम नकारात्मक परिस्थितियों के होते हुवे भी समता आन्दोलन राष्ट्रहित में अपने प्रयास जारी रखेगा। लम्बे संघर्ष में अनेक पड़ाव आते हैं। हैम अपनी सामर्थ्य से भी ज्यादा प्रयास कर रहे हैं और राष्ट्रवादी लोगों को जोड़ते हुवे जातिगत आरक्षण को व जातिवादी राजनीति को जड़मूल से समाप्त करवाने की दिशा में अग्रसर हैं। सत्यमेव जयते हो कर रहेगा।

अध्यक्ष की कलम से

जातिवादियों को कर्मचारी छटनी की बधाई

प्रिय साथियों, रेलवे में 50 फीसदी की संभावित छटनी पर सभी जातिवादी कर्मचारियों को बधाई, पदोन्नति में आरक्षण की अन्यायपूर्ण एवम असंवैधानिक प्रथा पर अड़े आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों व क्रीमीलयेर अनुसूचित जाति एवं जनजनाति की लोबीज के सामने डरी हुई सरकारों ने वर्ष 2000 से ही ये नीति बना ली है कि सरकारी कर्मचारियों की संख्या घटा कर एक तिहाई कर दी जावे। ये सर्व विदित तथ्य है कि पदोन्नति में जातिगत आरक्षण की प्रथा से अनुसूचित जाति एवं जनजनाति कर्मचारियों की बड़ी संख्या अपनी दक्षता बढ़ाने पर कोई ध्यान नहीं देती। इनकी आरामखोरी को देख कर अनारक्षित वर्ग के कर्मचारी भी दक्षता बढ़ाने के प्रति उदासीन होते जा रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें उनसे कनिष्ठ व कम दक्ष व्यक्ति के अधीन काम करने को मजबूर किया जा रहा है। इसीलिए लोकप्रशासन की कार्यक्षमता खत्म हो रही है, कार्य की संस्कृति खत्म हो रही है जिसके कारण बड़ी संख्या में अनुत्पादक कर्मचारियों का बोझ सहने में सरकारें असमर्थ होती जा रही हैं । इसी कारण सरकारों ने निजीकरण का रास्ता अपनाया है ताकि कार्यदक्षता को बनाए रखा जा सके। अत: जातिगत आधार पर पदोन्नति में आरक्षण की अन्यायपूर्ण एवम असंवैधानिक प्रथा को चलाये रखने पर अड़े अनुसूचित जाति एवं जनजनाति के लोकसेवकों को बधाई। केंद्र में जहाँ वर्ष 2000 में 52 लाख कर्मचारियों की जानकारी हमारे पास है वहीं ये संख्या 2016 में घटकर 38 लाख हो गई थी। अब तीन सालों में और घट गई होगी। जातिवादी लोगों को इस छंटनी की बधाई। सादर।

सम्पादकीय

भौतिक और वैचारिक हिंसा

सीएए लागू हो गया है। यानि सिटीजशिप एमेन्डमेंट एक्ट-19 पूरे देश में लागू हो गया है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान, बांगलादेश और अफ्गानिस्तान में जिन हिन्दुस्तानियों को धर्म के नाम पर सताया जा रहा है वे अब भारत के अधिकृत नागरिक हो सकेंगे। इसके ठीक बाद से देश उबल पड़ा है। पूर्वोत्तर के सातों प्रदेश, बंगाल, बिहार,यूपी दिल्ली, कर्नाटक में भयंकर प्रदर्शन हुए है। सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप से मना कर दिया है। भयंकर हिंसा के बीच सरकार ने बातचीत की मंशा जाहिर की है।

ये सब दुखद और चिंताजनक है। हिंसा कहीं भी किसी रूप में उचित और स्वीकार्य नहीं है। लेकिन इससे अधिक दुखद और चिंताजनक ये है कि कोई दो-चार करोड़ लोगों के कथित उत्पीडन से संसद इतनी बौखला गई कि कई घंटे की बहस के बाद सीएए को कानून बना दिया गया। दूसरी तरफ देश के भीतर ही धर्म से बढकर संवैधानिक रूप से प्रताडित 80-90 करोड़ लोगों को आगे भी दस साल तक प्रताड़ित रखने के लिये 126 वॉ संविधान संशोधन पारित कर दिया गया है। वो भी बिना किसी बहस के । ये हो क्या रहा है ?

प्रश्न का पहला उत्तर तो ये कि संविधान निर्माण की पवित्र प्रक्रिया को अपमानित करते हुए 298 संविधान सभा सदस्यों के सारे अवदान को धता बताते हुए, देश के प्रथम राष्ट्रपति को धता बताते हुए, आजादी के दीवानों की तपस्या को धता बताते हुए, ड्राफ्ट कमेटी के सभी सदस्यों को धता बताते हुए मात्र डॉ भीमराव अम्बेडकर को संविधान निर्माता घोषित करके देश पर थोप दिया गया। यह भी भुला दिया गया कि ड्राफ्ट ठोस कच्ची सामग्री के बिना नहीं लिखा जा सकता है। ये सब वैचारिक हिंसा है।

भौतिक हिंसा और वैचारिक हिंसा में बड़ा अन्तर ये है कि पहली हिंसा जहाँ कुछ सप्ताह, महिनों में अप्रभावी हो जाती है वहीं वैचारिक हिंसा दशाब्दियों तक नुकसानदायक हो सकती है। ठीक वैसे ही जैसे कथित एस सी/एस टी आरक्षण को हर दस साल पर बढ़ाकर अस्सी साल कर दिया गया है। शर्मनाक और निराश करने वाली बात ये है कि देश की किसी भी पार्टी ने अपने मेनीफेस्टों में इस संशोधन का वादा तो क्या उल्लेख तक नहीं किया था। यह भी वैचारिक हिंसा है।

सीएए हो चाहे 126 वॉ संविधान संशोधन। दोनों हिंसाा के ऐसे जहरीले मटके हैं जो हिंसा का जहर बांट रहे हैं। दोनों प्रकार की हिंसा। अर्थात भौतिक भी वैचारिक भी। लेकिन इस तरफ किसी का ध्यान नहीं है। पार्षद से लेकर प्रधानमंत्री तक इन दोनों प्रकार की हिंसा से अन्जान बने रहकर देश के बजाय पार्टी के दूत बनकर करोडों जन के साथ जो व्यवहार कर रहे हैं वह दुनिया के किसी और देश में शायद ही किया जाता हो।

महात्मा गांधी अहिंसा को व्यवहार में लाकर सहस्त्राब्दि पुरूष बने। दुनिया के प्राय: हर देश में उस महामानव की आदमकद प्रतिमाऐं लगाई गई हैं। यदि वे सच में स्वर्ग से भारत को देख पाते होंगे तो कितने दुखी हो रहे होंगे कि जिस साल उनका 150 वॉं जयंति वर्ष मनाया जा रहा हो उसी साल उनकी जन्मभूमि भौतिक और वैचाारिक हिंसा में आंकठ डूबी है। कोई देश अपने राष्ट्रपिता को उसकी 150 वीं जयंति पर ये किस तरह सम्मानित कर रहा है ? शर्म मगर उन्हें आती नहीं।

जय समता।

योगेश्वर झाड़सरिया

विधायिका में सीटों की जगह पार्टी टिकटों में आरक्षण लागू किया जाए: समता आन्दोलन एसटी प्रकोष्ठ

जयपुर। समता आन्दोलन के एस.टी. प्रकोष्ठ ने सभी सांसदों को पत्र लिखकर विधायिका में जातिगत आरक्षण दस वर्ष बढ़ाते वक्त सीटों का आरक्षण बन्द करवाकर पार्टी टिकटों में आरक्षण करवाने हेतु आग्रह किया है। पत्र में लिखा है कि अनुच्छेद-334 में जो 10 वर्ष के लिए अजा/अजजा को लोकसभा और विधानसभाओं में सीटों का आरक्षण दिया गया था इसे बिना किसी समीक्षा के संसद द्वारा जातिगत दबावों में अविधिक रूप से बार-बार बढ़ाते हुए 80 वर्ष तक बढ़ाया जा चुका है जिसके कारण भारत देश की करोड़ों अजा/अजजा जनसंख्या को भारी नुकसान हो रहा है। कृपया निम्न तथ्यों का अवलोकन करें-

(1) सीटों का आरक्षण देश के बड़े भाग में अजा/अजजा के राजनेतिक नेतृत्व को आगे बढ़ने से रोक रहा है। लोकसभा में कुल 543 में से 131 सीटों पर आरक्षण मिलने से कोई भी राजनेतिक दल शेष रही 412 सीटों पर अजा/अजजा के ऊर्जावान राजनेताओं को अपनी टिकिट देने की हिम्मत नहीं करता। इन अनारक्षित सीटों के मतदाता भी यहाँ से अजा/अजजा को टिकिट देने का विरोध करते हैं। इसी कारण से 70 वर्षों से आरक्षण मिलने के बाबजूद भी लोकसभा की 412 सीटों पर अजा/अजजा वर्ग के योग्य, जुझारू और राष्ट्रवादी नेता राष्ट्रीय स्तर पर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। यही हाल राज्यों की विधानसभाओं में है जहां अधिकांश चुनाव क्षेत्रों में अजा/अजजा वर्ग को आज तक आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला है।

(2) सीटों के आरक्षण से आजादी के 72 वर्षों बाद भी अजा/अजजा का राष्ट्रीय नेतृत्व केवल 200 परिवारों में सिमटा हुआ है और राज्य स्तरीय नेतृत्व मुश्किल से 2-3000 परिवारों में सिमटा हुआ है जबकि देश में अजा/अजजा की जनसंख्या आज लगभग 28 करोड़ हैं।

(3) सीटों के आरक्षण से इन पर निर्वाचित होकर आने वाले सांसद और विधायक आपाधापी में लग जाते हैं। वास्तविक पिछड़े, वांचित, दलित तबके पर ध्यान देना बन्द कर देते हैं। लगभग सभी आरक्षित राजनेता इस नीति पर भी चल रहे हैं कि इनके क्षेत्र का कोई आरक्षित व्यक्ति आगे ना बढ़ जाये। वे उन्हें हर तरह से पिछड़ा और कमजोर रखने का ही प्रयास करते हैं ताकि कोई आगे बढ़कर उनके लिए खतरा ना बन जाये। इसी लिए आप देख सकते हैं कि अजा/अजजा के सांसद और विधायक जहाँ करोड़पति, अरबपति बन गये है वहीं उनके क्षेत्र के ही अजा/अजजा की जनसंख्या बहुतायत में पिछड़ी, वंचित और दलित ही पड़ी है।

(4) सीटों का आरक्षण प्रजातंत्र का मजाक है, अविधिक है, असंवेधानिक है। प्रजातंत्र में किसी भी मतदाता को चुनाव लडने से नहीं रोका जा सकता है। जबकि भारत में आरक्षित सीटों वाले क्षेत्रों में करोड़ों मतदाताओं को बिना किसी अपराध के केवल जातिगत आधार पर उनके स्वयं के क्षेत्र में चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। ये प्रजातंत्र के मूलभूत सिद्धान्त के विरूद्ध है। पूरी तरह अविधिक हैं।

(5) सीटों का आरक्षण जातिगत भेदभाव और जातिवादी राजनीति को बढ़ाने वाला है। आरक्षित सीटों पर जीतकर आने वाले सांसद/विधायक अपने निजी स्वार्थ और राजनीति के कारण जातिवादी राजनीति करते हैं। अपने अजा/अजजा वर्ग को अकारण ही गैर- अजा/अजजा नागरिकों से डरा कर रखते हैं ताकि उनकी राजनेतिक रोटियाँ सिकती रहें। ऐसे कृत्यों से देश में समरसता, सद्भाव सहअस्तित्व समाप्त हो रहा है। इस घृणित जातिवादी राजनीति के बढ़ते दुष्प्रभाव से देश तेज गति से जातिगत गृहयुद्ध की ओर बढ़ रहा है। सत्तर साल पहले की अपेक्षा आज जातिगत भेदभाव और जातिवादी राजनीति चरम् पर हैं।

(6) सीटों का आरक्षण ही भाजपा और कांग्रेस जैसी राष्ट्रवादी पार्टियों को जातिवादी राजनेताओं के समक्ष समर्पण कर देने को मजबूर कर रहा है। ये दल अपने ही दल के अच्छे, तेजस्वी, राष्ट्रवादी अजा/अजजा कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने में लाचार हो रहे हैं। चुनिन्दा आरक्षित सीटों के चुनिन्दा अजा/अजजा नेता इतने अरबपति, सशक्त और दबंग हो चुके हैं कि ये किसी भी सरकार को ब्लैकमेल करने की स्थिती में है। इसलिये देश में विकासवादी राजनीति के बदले जातिवादी राजनीति हावी होती जा रही है।

(7) यह सर्वविदित तथ्य है कि इस देश के 130 करोड़ नागरिकों में से केवल 2-3000 अजा/अजजा वर्ग के सांसदों/विधायकों को छोड़कर सभी 130 करोड़ नागरिक विधायिका में जातिगत आरक्षण के विरूद्ध हैं। लेकिन पूरी संसद और सभी राजनेतिक दल अजा/अजजा के उपरोक्त चुनिन्दा जातिवादी राजनेताओं के आगे लाचार हैं और बार-बार अनुच्छेद-334 में दिये गये जातिगत आरक्षण को बिना किसी समीक्षा के, बिना किसी बदलाव के पुन: दस वर्ष बढ़ाने को विवश हैं। विश्व के सबसे बड़े प्रजातंत्र में सर्वोच्च सदन की ऐसी लाचारी और विवशता हमें बेहद खतरनाक परिणामों की ओर धकेल रही है।

अत: आपसे प्रार्थना है कि आप कृपया अनुच्छेद-334 में विधायिका में अजा/अजजा के लिए आरक्षण दस वर्ष समय सीटों का आरक्षण की जगह पार्टी-टिकटों का आरक्षण करवायें अर्थात सीटों का आरक्षण बन्द करवा कर मान्यता प्राप्त पार्टियों को पाबन्द करवायें कि वे निर्धारित प्रतिशत पार्टी-टिकटें अजा/अजजा को देवें, चाहे कही से भी देवें। इनके सामने कोई भी नागरिक चुनाव लडने को स्वतंत्र हों। ऐसा प्रावधान होने से उपरोक्त सभी दु:खदायी परिणाम बन्द होंगे। अजा/अजजा में पूरे देश में राष्ट्रवादी नेतृत्व उभर पायेगा। देश में समरसता बढ़ेगी। जातिवादी राजनीति की जगह विकासवादी राजनीति होगी। जातिवाद खत्म होगा। देश का प्रजातन्त्र मजबूत और संविधान सम्मत होगा। जातिवादी राजनीति और दबाब के जरिये संसद के अधिकारों का दुरूपयोग करवाकर 130 करोड़ राष्ट्रवादी नागरिकों के अधिकारों की हत्या करना संसदीय हिंसा है। कृपया इसे रोकें।

75 प्रतिशत सीधी भर्ती वाली सेवाओं में भी प्रमोशन में आरक्षण का लाभ

जयपुर। 75 प्रतिशत सीधी भर्ती वाली सेवाओं में भी प्रमोशन का आरक्षण का लाभ मिलेगा। इसको लेकर कार्मिक विभाग की ओर से आदेश जारी किया गया। सीधी भर्ती वाले मामलों में भी प्रमोशन में एसटी-एससी आरक्षण व्यवस्था लागू रहेगी। कार्मिक विभाग ने अपना 29 अक्टूबर 1990 का वो आदेश भी वापस ले लिया है, जिसमें कहा गया था कि 75 प्रतिशत सीधी भर्ती वाले मामलों में एसटी-एससी को प्रमोशन में आरक्षण लागू नहीं रहेगा। कार्मिक विभाग की प्रमुख सचिव रोली सिंह की ओर से जारी आदेश के अनुसार भारत के संविधान का 85 वां संशोधन लागू होने के बाद प्रमोशन में आरक्षण एक संवैधानिक अधिकार है। राज्य में भी इसकी अधिसूचना 11 सितंबर 2011 द्वारा सभी सेवा नियमों में संशोधन करके प्रमोशन में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ऐसी स्थिती में किसी भी संवर्ग में किसी भी संख्या में प्रमोशन पद होने पर उनमें आरक्षण दिया जाना आवश्यक है। अब सभी विभागों में प्रमोशन में आरक्षण कार्मिक विभाग की 11 सितंबर 2011 के प्रावधान अनुसार दिया जाएगा। इन आदेशों में कहा गया है कि 29 अक्टूबर 1990 के तहत जिन विभागों द्वारा प्रमोशन प्रदान की जा चुकी है। ऐसे प्रकरणों को दोबारा नहीं खोले जाएंगे।

पौराणिक कथन : " अरूणाचल"

पूर्वांचल का प्रदेश। जहाँ भगवती दुर्गा ने शुम्भ, निशुम्भ, महिषासुर का वध कर देवों को अभय किया था।

जो हिंसा की माला जपते,
वे भारत के पूत नहीं हैं।
जातिवादी ध्यान से सुनलें,
वे कपास हैं सूत नहीं हैं।।

'समता आन्दोलन के सदस्य बने और बनाएं'

कविता

रात बाद फिर नव पल

चलता चल,
बढता चल।
जीवन पथ,
चलता चल।।
जितना भी,
कीचड़ हो।
नीरज बन-
खिलता चल।।
आशा रख,
भूलो दुख।
रखो एक,
हरदम रूख।
तू सूरज-
कभी न ढ़ल।
चलता चल, बढता चल।।
तन स्वतंत्र,
मन सुमंत्र।
समय जंत्र,
यतन यंत्र।
बन रहना,
सबका बल।
चलता चल, बढता चल।
सभी कला,
ठीक चला।
होय भला,
दीप जला।
रात बाद-
फिर नव पल।
चलता चल,
बढता चल
सुरभित जल,
सच्चा दल।
शेष बचे,
केवल खल।
चलता चल, बढता चल।।
-प्रदीप सिंह राठौड-

नये साल पर सभी राष्ट्रवादियों को समता के संकल्प की बधाई और शुभकामनाऐं

कुछ संपन्न अथवा प्रभावशाली लोग ही आरक्षित पदों पर कब्जा जमाते जा रहे हैं।

गतांग से आगे:-

अर्थात् आरक्षण के बल पर सेवा में प्रवेश के साथ-साथ उनके (आरक्षण-प्राप्त अभ्यार्थियों का) द्वारा पदोन्नति प्राप्त करना भी न्यायसंगत और तर्कसंगत है।

अब इस नियम को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक अन्य मामले में दिए गए सुझाव के सामने रखकर देखें। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि वास्तविक लाभार्थियों में मौजूद कुछ संपन्न अथवा प्रभावशाली लोग ही आरक्षित पदों पर कब्जा जमाते जा रहे हैं। इसी आधार पर आंध्र प्रदेश सरकार ने एक अधिसूचना जारी करके वंचित अथवा पिछड़ी जातियों को चार वर्गों में विभाजित कर दिया तथा प्रत्येक वर्ग के सदस्यों के लिए आरक्षित सीटें अलग-अलग निर्धारित कर दी थीं। सर्वोच्च न्यायालय ने इस अधिसूचना को निरस्त करते हुए कहा कि जिन वर्गों-रेल्ली और आदि-आंध्र के संदर्भ में बात की जा रही है, उनका मुशिकल से ही कोई सदस्य शिक्षित है। सर्वोच्च न्यायालय का कहना था-''कथित समुदाय के केवल 2 प्रतिशत सदस्यों ने ही सैकंडरी स्तर के स्कूल में पढ़ा है। किसी भी सदस्य ने कभी किसी इंजीनियरिंग अथवा अन्य व्यावसायिक शिक्षा के कॉलेज में प्रवेश नहीं लिया है।'' इसी से पता चल जाता है कि आरक्षण से इन समुदायों को किस हद तक मदद मिलेगी, भले ही हम यह मानने से इनकार कर दें कि ऐसा करने से प्रशासन की गुणवत्ता प्रभावित होगी।''उपर्युक्त तथ्य से स्पष्ट पता चलता है कि इन्हें मेडिकल अथवा इंजीनियरिंग कॉलेजों या सार्वजनिक सेवाओं में आरक्षण देने से इनकी समस्या हल नहीं होने वाली है। ऐसी मौलिक अथवा प्राथमिक शिक्षा के बिना इन समुदायों के सदस्य किसी मेडिकल या इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश नहीं पा सकते और इस प्रकार सरकारी सेवाओं में उनकी भरती का सवाल ही नहीं पैदा होता। वर्तमान में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए भी मैट्रीकुलेशन परीक्षा उतीर्ण होना अनिवार्य है।'' इसी आधार पर सर्वोच्च न्यायालय में कहा कि ''ऐसी स्थिति में जरूरी यह था कि उन्हें छात्रवृत्ति, छात्रावास, विशेष कोचिंग आदि की सुविधा प्रदान की जाए, ताकि उन्हें अन्य पिछड़े वर्गों के समान स्तर पर नहीं तो कम-से-कम अन्य अनुसूचित जातियों-मडिगा और माला आदि-की बराबरी में लाया जा सके।'' सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा था, ''जब तक इस कथित समुदाय के बच्चे शिक्षित नहीं होते तब तक शिक्षा और सरकारी सेवा-दोनों ही मामलों से संबंधित प्रावधान उनके लिए एक मिथक ही बना रहेगा और अंतत: उसका लाभ अन्य वर्गों को मिलेगा। हमारा विचार है कि सरकार को इस संबंध में सकारात्मक कदम उठाने चाहिए।''

सर्वोच्च न्यायालय (झूठी) उम्मीद में विश्वास नहीं रखता कि ''अंतत: इन वर्गों को अपनी आरंभिक कमजोरियों को दूर करने में मदद मिलेगी।'' वह तो इस सिद्धांत पर चलता

''जब तक इस कथित समुदाय के बच्चे शिक्षित नहीं होते तब तक शिक्षा और सरकारी सेवा-दोनों ही मामलों से संबंधित प्रावधान उनके लिए एक मिथक ही बना रहेगा और अंतत: उसका लाभ अन्य वर्गों को मिलेगा। हमारा विचार है कि सरकार को इस संबंध में सकारात्मक कदम उठाने चाहिए।''

है कि व्यक्ति विशेष अथवा वर्ग या समूह को नौकरियों पर अपना अधिकार प्रदर्शित करने से पहले उनके लिए स्वयं को तैयार करना चाहिए। इस सिद्धांत को उस व्यावहारिक सच्चाई के सामने रखकर देखें, जिसमें मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में उन छात्रों को भी प्रवेश मिल जाता है जो उसके लिए पूरी तरह से तैयार या योग्य नहीं होते। लेकिन इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय यही कहता है कि अभ्यार्थियों को पहले संबंधित कार्य के लिए स्वयं को तैयार करना चाहिए। और अन्य मामलों में उसका तर्क होता है कि प्रवेश पा लेने के बाद अंतत: वे अपनी कमजोरियाँ दूर कर लेंगे।

मुक्त कर देने की हद तक छूट

यदि सरकार अपने कर्मचारियों का मूल्यांकन करते समय मानदंडों या शर्तों में ढील दे सकती है तो आखिर शिक्षण संस्थाओं में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? यदि मानदंडों या शर्तों में ढ़ील दी जा सकती है तो उन्हें पूरी तरह से समाप्त क्यों नहीं किया जा सकता ? बिलकुल किया जा सकता है और यही हुआ भी है।

60 के दशक के शुरू में भी सर्वोच्च न्यायालय शिक्षा के स्तर को लेकर दृढ़ था। एम.आर. बालाजी मामले में इस विषय पर उसने समानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण प्रकट किया था। उसने कहा था कि समाज के सभी वर्गों में आई जागृति के परिणामस्वरूप उच्च शिक्षा की मांग बढती ही जा रही है। साथ ही, उसने सावधान भी किया था, ''यद्यपि वर्ष-प्रतिवर्ष बढ़ रही उच्च शिक्षा की माँग को पूरा करना जरूरी है, लेकिन इसमें यह ध्यान रखा जान चाहिए कि शिक्षा के स्तर में कोई गिरावट न आए।'' उसने आगे कहा था, ''शिक्षा की बढती माँग को बड़ी संख्या में शिक्षण संस्थान, व्यावसायिक शिक्षा स्कूल और पॉलिटेक्निक स्कूल खोलकर पूरा किया जा सकता है। लेकिन इस आधार पर कि सभी-की सभी सीटें समाज के कमजोर वर्गों के छात्रों के लिए आरक्षित हैं, योग्य और प्रतिभाशाली छात्रों को विश्वविद्यालयों में प्रवेश से वंचित करना राष्ट्रीय हितों के विरूद्ध होगा। जैसा विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग-1 ने कहा था, 'वह अवश्य ही अंधा होगा, जो यह न देख सके कि राजनीतिक परिवर्तन जितने शक्तिशाली होते है अतने ही गंभीर विश्वविद्यालयों में उठनेवाले आधारभूत प्रश्न भी होते हैं। अत: आरक्षण के औचित्य पर विचार करते समय यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि हम उच्च विश्वविद्यालय शिक्षा के मामले में बात कर रहे हैं। यह चेतावनी कोई भी पढ़कर सुना दे, जो अपने उत्कृष्टता स्तर पर कायम कुछ बचे हुए प्रौद्योगिकी और प्रबंधन संस्थानों में भी आरक्षण की गुहार लगा रहे हैं। देश की आर्थिक प्रगति के लिए वैज्ञानिकों, चिकित्सकों, तकनीशियनों, अभियंताओं, अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों की माँग इतने जोरों पर है कि यदि मेडिकल या इंजीनियरिंग कॉलेजों अथवा इस प्रकार की अन्य संस्थाओं में बड़ी संख्या में सीटों के आक्षण के चलते वासतविक प्रतिभा को ध्यान में नहीं रखा जाता तो यह राष्ट्रीय हितों के खिलाफ होगा। अत: अनुच्छेद 15(4)में उल्लिखित विशेष प्रावधान को समाज के शेष वर्गों को वंचित करने वाला विशेष प्रावधान माना जा सकता है अथवा नहीं-इस प्रश्न पर विचार करते समय सामुदायिक, सामाजिक और राष्ट्रीय हितों को नजर अंदाज नहीं किया जा सकता । इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग,जो पिछड़े वर्गों को सहायता दिए जाने की समस्या पर विचार कर रहा था, ने टिप्पणी की थी कि आरक्षण का प्रतिशत कुल उपलब्ध सीटों के एक-तिहाई से अधिक नहीं होगा; साथ ही, उसने यह भी कहा था कि आरक्षण की व्यवस्था दस वर्ष की अवधि के लिए (ही)लागू हो सकती है.....।'

सर्वोच्च न्यायालय ने रंगाचारी में जो कुछ कहा था, उसे ही ताजा करते हुए टिप्पणी की थी कि यद्यपि वंचित वर्ग के उत्थान को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए, लेकिन ऐसा करते समय, ''यह बिलकुल भी नहीं भूलना चाहिए कि प्रशासन की गुणवत्ता सर्वोपरि है और इसके साथ समझौता करके कोई भी आरक्षण संबंधी प्रावधान करना अविवेकपूर्ण होगा। यह निस्संदेह अनुच्छेद 335 का प्रभाव है। नियुक्तियों या पदों के आरक्षण से प्रशासन की गुणवत्ता का स्तर निश्चित तौर पर गिरेगा; लेकिन किसी भी सरकार को पदों का आरक्षण करते समय उसे प्रशासन की गुणवत्ता के लिए उत्पन्न खतरे को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए।'' न्यायालय ने आगे कहा था, ''यह भी सच है कि अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत किए जा सकने वाले आरक्षण का उद्देश्य पिछड़े वर्गों-समुदायों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देना ही है। इसे एकाधिकार स्थापित करने या अन्य कर्मचारियों के वैधानिक हितों को अनुचित रूप से नुकसान पहँचाने के लिए नहीं प्रयुक्त किया जा सकता। अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत अधिकारों का प्रयोग करते समय समाज के पिछड़े वर्गों की पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने की समस्या पर निष्पक्ष दृष्टिकोण से विचार किया जाना चाहिए और पिछड़े वर्गों तथा अन्य वर्गों के कर्मचारियों के अधिकारों और साथ-ही-साथ प्रशासन की गुणवत्ता के बीच उपयुक्त संतुलन बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए।''

... शेष अगले अंक में

अरूण शौरी की पुस्तक 'आरक्षण का दंश' से साभार

126वां संविधान संशोधन संसदीय हिंसा है
समता आन्दोलन ने संसद से सड़क तक पहुंचाई अपनी पीड़ा

जयपुर। विधायिका में आरक्षण को अगले दस साल तक बढाने के लिए संसद में प्रस्तुत किये गये 126वें संविधान संशोधन के विरोध में समता आन्दोलन शुरू से ही मुखर हो गया। इसके लिए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष एवं सभी संसद सदस्यों को पत्र लिखकर गुहार की गई और इस विषय को लेकर पूरे राजस्थान में बैनर प्रदर्शन भी किये गये।

समता आन्दोलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष की अगुवाई में लोकसभा अध्यक्ष को ज्ञापन सौप कर इस संशोधन को रोके जाने की गुहार की गई। ज्ञापन में बताया गया कि यह संविधान संशोधन पूरी तरह असंवैधानिक है, भारतीय लोकतंत्र का मजाक है, करोड़ों राष्ट्रवादी मतदाताओं के साथ धोखा है, भारतीय संसद की गरिमा को गिराने वाला है। प्रजातांत्रिक और संसदीय मूल्यों की रक्षा के लिए इसे रोका जाए। ज्ञापन देने वालो में राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ गुरविन्दर सिंह, मुकेश, जोगिन्दर पाल, ऋषिराज, कृष्णावतार, धर्मपाल, पवन जैन, प्रेमकुमार, संतलाल, सुखवीर सिंह शामिल थे।

झालावाड। समता आन्दोलन समिति झालावाड द्वारा राष्ट्रपति के नाम जिला कलक्टर के माध्यम से दिये ज्ञापन में संविधान के अनुच्छेद 334 के तहत आरक्षण की अवधि बढ़ाने वाले असंवैधानिक बिल को रोकने तथा इसे सर्वोच्च न्यायालय की सहमति के लिए अनुच्छेद 143 के अधीन भेजने के लिए मांग की गई। ज्ञापन देने वालो में वैश्य समाज के संजय अग्रवाल, गुर्जरगौड समाज के अध्यक्ष राजेन्द्र जोशी, कायस्थ समाज के रविन्द्रनाथ सक्सेना, क्षत्रिय महासभा के छीतर सिंह राठौड़, औदिच्य ब्राहम्मण समाज के सुरेश शुक्ला, राजस्थान ब्राहम्मण महासभा के नवयुवक संघ अध्यक्ष सौरभ शर्मा, बृजबिहारी पुष्पक, संतोष श्रृंगी, कर्मचारी महासंघ के उपाध्यक्ष वैभव जोशी, भूपेन्द्र नाथावत, बृजराज दुबे, संजय खान, राहुल रावल, राजेन्द्र यादव, देवकीनन्दन गौतम, नरेश जोशी, सुरेश शर्मा आदि उपस्थित रहे।

नागौर। समता आन्दोलन समिति ने जातिगत आरक्षण को अगले 10 साल के लिए फिर से बढ़ाने के लिए 126 वें संविधान संशोधन का विरोध किया। समिति के जिला सचिव आनन्द पुरोहित ने बताया कि संसदीय प्रजातंत्र पर एक बार 352 सांसदों ने 126 वें संशोधन बिल के पक्ष में मत देकर पारित करते हुए बिना समीक्षा किए अगले 10 साल तक आरक्षण का प्रावधान बढ़ा दिया है। समता आन्दोलन नकारात्मक परिस्थितियों के होते हुए राष्ट्रहित में जातिगत आरक्षण के विरोध की लड़ाई जारी रखेगा। इस दौरान नन्दकुमार शर्मा, प्रेमचन्द शर्मा, दीपक तिवाड़ी, विनोद गौड़, अंजनी कुमार गौड़, गणपतलाल जोशी आदि ने कलक्ट्रेट के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया।

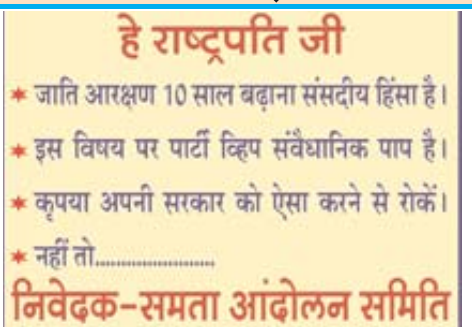

अजमेर : समता आंदोलन समिति ने जिला कलक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। उन्होंने जातिगत आरक्षण को दस साल के लिए ओर बढ़ाने को संसदीय हिंसा करार दिया है। समिति के पदाधिकारियों ने पेम्पलेट बांटकर भी जातिगत आरक्षण का विरोध जताया है। समिति के जिलाध्यक्ष कृष्ण गोपाल मोदानी ने बताया कि समता आन्दोलन समिति गत 27 सालों से आरक्षण का विरोध कर रही है। इसी को लेकर पदोन्नति में आरक्षण पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। अब जातिगत आरक्षण को भी समाप्त करवाने के लिए समिति पूरी तरह से लगी हुई है। उन्होंने कहा कि जातिगत आरक्षण को अब ओर दस साल के लिए बढ़ाना संसदीय हिंसा है, जिसे बर्दाशत नहीं किया जाएगा।

पाली। समता आन्दोलन समिति ने लाखोटिया उद्यान में बैठक आयोजित की। समिति के जिलाध्यक्ष दयाशंकर मिश्रा व जिला सचिव जयशंकर त्रिवेदी ने बताया कि भारत के संसदीय प्रजातंत्र पर वापस एक बार 352 सांसदों ने 126 वां संशोधन बिल के पक्ष में मत देकर पारित करते हुए 10 सालों तक आरक्षण के प्रावधान को बिना समीक्षा के आगे बढ़ा दिया। जिसका समता आंदोलन विरोध करता है। बैठक में विधेयक को लेकर चर्चा कर आगामी कार्य की रूपरेखा तैयार की गई।

जयपुर। प्रदेश में पोस्टर प्रदर्शन की शुरूआत जयपुर के स्टेच्यू सर्किल से की गई और उसका समापन शहीद स्मारक पर हुआ। प्रदर्शन में पहुंचे मीडिया को ज्ञापन सौपा गया। प्रदर्शन के वीडियों को सोशल मीडिया पर इक्कीस हजार लोगों ने सराहा। प्रदर्शन में योगेश्वर, गिरधारी सिंह, राममनोहर, गिरधारी लाल, दीपक कुमार, जितेन्द्र, निखिल, संजय शामिल हुये।

भरतपुर। समता आन्दोलन समिति के जिलाध्यक्ष अरविन्द शर्मा के नेतृत्व में बिहारी जी मन्दिर में विधायिका में आरक्षण 10 साल बढाये जाने के विरोध में मौन विरोध किया गया। साथ ही राष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष से संविधान विरोधी कदम को रोकने के लिए बिहारी जी से प्रार्थना की गई। कार्यक्रम में प्रेमप्रकाश, हरिओम, शुभनेश, दिलिप, अनिल, मुकेश, विष्णु, देवेन्द्र और हेमदत्त मौजूद थे।

करौली। समता आन्दोलन समिति करौली में देवकुमार गौड के नेतृत्व में विधायिका में आरक्षण 10 साल बढाये जाने का विरोध हुआ।

बीकानेर। जिले के सचिव ओम बोहरा निम्बीजोधा के नेतृत्व में प्रदर्शन से पहले आचार्य रघुनाथजी की बगीची में फ्लैक्स का विधिवत विमोचन करके अगले दिन कोट गेट पर विरोध प्रदर्शन किया गया।

दिल्ली के उत्तम नगर में शुरू हुआ समता आन्दोलन का नया राष्ट्रीय कार्यालय

नई दिल्ली। समता आन्दोलन की कौर कमेटी के महत्वपूर्ण निर्णय के अनुसार दिल्ली के जनकपुरी क्षेत्र में चल रहे राष्ट्रीय कार्यालय को उत्तम नगर ईस्ट के नये कार्यालय में स्थानान्तरित कर दिया गया है। निर्णय के अनुसार राष्ट्रीय अध्यक्ष 15 दिन राजस्थान एवं 15 दिन दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यालय सम्भालेंगे। नये कार्यालय के खुलते ही पहली गतिविधि के रूप में ईश्वरीय अराधना एवं सामूहिक सुन्दर कांड का पाठ किया गया। इसी अवसर पर उड़ीसा प्रांत के अध्यक्ष दीनबंधु सारंगी से आगे की योजना पर विस्तार से रूपरेखा निर्धारित की गई।

समता आन्दोलन के सदस्यों से निवेदन है कि समता ज्योति आपका अपना अखबार है। इसमें प्रकाशित करने के लिए अपने विचार, कविता, समाचार, आदि-आदि मुख पृष्ठ पर दिये ई-मेल पते पर या डाक से भेजे।

न कोई जाति न कोई वर्ण सारे भारतीय सवर्ण।

प्रकाशक, मुद्रक, स्वामी-समता आंदोलन समिति, प्रकाशन स्थान- 68, भारतेन्दु नगर, खातीपुरा, जयपुर, मुद्रण स्थान- इन्दु प्रिण्टर्स, कुचीलपुरा बीकानेर, सम्पादक-योगेश्वर शर्मा। Website:www.samtaandolan.co.in